सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं: 5780 / 1014 / 2016 दिनांक: 25 / 10 / 2016

के मामले में :–

श्री जयहिन्द शर्मा, D447
सपुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,
ग्राम व पोस्ट – विजयपुरा, तहसील – हिण्डोनसिटी,
जिला – करौली – 322236
(राजस्थान) – शिकायतकर्ता

बनाम

1. सचिव, भारतीय डाक, D446
भारतीय डाक भवन,
नई दिल्ली–110001 – प्रतिवादी संख्या 1

2. अधीक्षक, भारतीय डाकघर, D449
सवाई माधोपुर मण्डल,
सवाई माधोपुर–322001
राजस्थान । .... प्रतिवादी संख्या 2

सुनवाई की तारीख: 19.09.2016

उपस्थित:

1. शिकायतकर्ता अनुपस्थित ।
2. सर्वश्री पी.एल. सोमवंशी, एपीएमजी (विज.), आर.एस. मीना, अधीक्षक,डाक एवं तरूण मित्तल, एडीजी (स्था.–1), प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, 40 प्रतिशत अस्थिबाधित ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत शाखा डाकपाल के रिक्त पद हेतु जारी विज्ञप्ति के आधार पर वरियतानुसार नियुक्ति प्रदान करने एवं द्वितीय विज्ञप्ति को निरस्त करने से संबंधित शिकायत दिनांक 18.01.2016 एवं 05.02.2016 इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अधीक्षक, भारतीय डाक, सवाई माधोपुर मण्डल, सवाई माधोपुर द्वारा ग्रामीण डाक शाखा डाकपाल के रिक्त पद भरने हेतु विज्ञप्ति ज्ञापन कमाक ए.एच./408/पी.एफ.स.मा. दिनांक 23.05.2008 की श्रेणी अनारक्षित विकलांग की विज्ञप्ति निकाली गई जिसमें फार्म भरने की अन्तिम दिनांक 24.06.2008 रखी गई थी ।

.....2/–

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

शिकायतकर्ता विज्ञप्ति के अनुसार नियम, शर्तों, योग्यतानुसार प्राप्त आवेदनों, वरियतानुसार नियुक्ति प्रदान करने में बार–बार मांग करता रहा है और उन्हें बार–बार आश्वासन दिया जा रहा था । अब अधीक्षक, भारतरीय डाक विभाग, सवाई माधोपुर मण्डल ने दिनांक 15.12.2015 की विज्ञप्ति क्रमांक A.2/Rectt/GDSBPM/2015 के तहत शाखा डाकपाल के रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं जोकि प्रथम विज्ञप्तिनुसार आवेदनकर्ता विकलांगों के साथ अन्याय है । अब पुनः द्वितीय विज्ञप्ति दिनांक 19.12.2015 के कारण वे निर्धारित आयु सीमा से बाहर हो गए हैं । वे दो भाई हैं एवं दोनों विकलांग व गरीब हैं, बेरोजगार हैं । अतः वरीयतानुसार प्रथम विज्ञप्ति के आधार पर ही नियुक्ति प्रदान करें तथा द्वितीय विज्ञप्ति दिनांक 15.12.2015 को प्राथमिकता न दी जाए तथा इसे निरस्त करने की कृपा करें । अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे भारतीय डाक भवन पर बिना अन्न, जल ग्रहण किए मौन व्रत के साथ धरना देंगे तथा विकलांग शिकायतकर्ता की जब तक सांस हैं, तब तक वे न्याय मांगते रहेंगे ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 29.02.2016 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 05.05.2016 को स्मरण–पत्र भी जारी किया गया ।

4. प्रतिवादी से कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण मामले को दिनांक 19.09.2016 को सुनवाई के लिए रखा गया ।

5. दिनांक 19.09.2016 को सुनवाई में भाग लेने के लिए शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के पत्र दिनांक 10.8.2016 द्वारा स्पीड डाक से भेजी गई थी । शिकायतकर्ता की ओर से मामले में अपने पक्षकथन के समर्थन में न तो उपस्थित होने और न ही सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में सूचित करने में दर्शित पूर्ण उपेक्षा को इस न्यायालय ने गंभीरता से लिया।

6. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि भारतीय डाक, सवाई माधोपुर मण्डल, सवाई माधोपुर द्वारा ग्रामीण डाक शाखा डाकपाल के रिक्त पद भरने हेतु वर्ष 2008 में विज्ञापन निकाला था । उक्त विज्ञापन में ग्रामीण शाखा डाकपाल की भर्ती में विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं थे, इसलिए इस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया । तत्पश्चात् वर्ष 2015 में महानिदेशक डाक, नई दिल्ली से विकलांग व्यक्तियों के

....3/–

लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित करने के लिए निर्देश प्राप्त होने पर शाखा डाकपाल के पद विकलांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित कर आरक्षित किए गए और उनकी भर्ती के लिए पुनः विज्ञाप्ति दिनांक 15.12.2015 को जारी की गई । इस दौरान शिकायतकर्ता ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर बैंच मे इस मामले से संबधित अपना ओ.ए. संख्या 291/00803/2015 फाइल किया जोकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर बैंच के विचाराधीन है ।

16. प्रतिवादी के प्रतिनिधि को सुनने एवं मामले की फाइल का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय ने संप्रेक्षण किया कि चूंकि शिकायतकर्ता ने इस मामले में न्याय पाने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर बैंच में ओ ए. संख्या 291/00803/2015 पहले से ही फाइल कर रखा है, इसलिए यह न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम नहीं है और मामला खारिज किया जाता है ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन